दलीप कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
ए आई आर 1973 इलाहाबाद 592

तथ्य

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्थानों के आरक्षण को रजिस्ट्रार, मिलीजुली प्रि-मेडिकल परीक्षा, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के पैरा 10 के अधीन यह कहकर चुनौती दी गई है कि यह अनुच्छेद 15(4) का अतिक्रमण है। स्थानों का वितरण निम्न प्रकार से किया गया था।

मेडिकल कालेज

	लख.	कान.	आगरा.	इलाहा.	मेरठ.	झांसी
(क) सामान्य (पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए स्थान	103	104	63	55	55	26
(ख) कन्या अभ्यर्थियों के लिए	35	37	24	20	20	10
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए	28	28	19	15	15	6
(घ) पर्वतीय क्षेत्रों के (उत्तराखण्ड मंडल के अतिरिक्त) अभ्यर्थियों के लिए	5	6	4	3	3	2

(ङ) उत्तराखण्ड मण्डल के अभ्यर्थियों के लिए (इन स्थानों में से 50 प्रतिशत उत्तराखण्ड मण्डल की कन्या अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है)	5	6	4	3	3	2
(च) अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए	5	6	4	3	3	2
कुल	181	187	118	99	99	50

वाद विषय

(1) क्या ग्रामीण पर्वतीय और उत्तराखण्ड क्षेत्रों के लिए विविधतया स्थानों के आरक्षण संविधानिक दृष्टि से अनुमत्य है।

(2) क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड संविधानिक दृष्टि से वैध हैं।

उद्धरण

न्यायमूर्ति डी.एस. माथुर

इन अनुदेशों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं पहला तो यह कि सामान्य उम्मीदवारों, कन्या उम्मीदवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम अर्हक अंक 25

प्रतिशत तथा सभी विषयों में कुल अंक 33 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यही न्यूनतम अंक 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड मंडल के उम्मीदवारों के मामले में इस प्रकार के न्यूनतम अर्हक अंक हैं हीं नहीं जिसका परिणाम यह होता है कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी विषय में कोई भी अंक न मिले तब भी उसका दाखिला हो जाएगा, बशर्ते कि उत्तराखंड मंडल के उम्मीदवारों की कुल संख्या उपर्युक्त अनुदेशों में निर्धारित संख्या से अधिक न हो। अनुदेशों की एक और विशेषता यह है कि आरक्षण न केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए किए जाते है बल्कि कन्या छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों, उत्तराखंड मंडल से इतर पर्वतीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों और उत्तराखंड मंडल के उम्मीदवारों के लिए भी किए जाते हैं। कन्या अभ्यर्थियों के मामले में यदि कोई कन्या अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों में से चुन ली जाती है तो कन्या अभ्यर्थियों के लिए किए गए आरक्षण में उतनी ही कमी कर दी जाती है किन्तु अन्य लोगों के मामले में ऐसा नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि यदि अर्ह उम्मीदवार खासी संख्या में उपलब्ध हों तो उन श्रेणियों के लिए अनुदेशों में निर्धारित उम्मीदवारों से अधिक उम्मीदवारों की (कन्या अभ्यर्थियों के अलावा) मेडिकल कालोजों में दाखिला मिल जाता है।

वर्तमान मामले में राज्य ने इस बात का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वे विभिन्न ग्रुप या क्षेत्र जिनका उल्लेख अनुदेशों में किया गया है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्यों माने गए। किन्तु इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि उन सभी को सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों और कैसे मान लिया जाए। शैक्षिक पिछड़ेपन की मुख्य कसौटी प्रि-मेडिकल परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आरक्षित क्षेत्रों के उम्मीदवारों की संख्या जो प्रि-मेडिकल परीक्षा में बैठते हैं और साथ हीं इन क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कमी होती है। हमारा कहना यह है कि उन क्षेत्रों के सभी निवासियों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यही पर्याप्त नहीं है। किसी गांव के सभी निवासी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते है लेकिन यही बात सभी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में नही कही जा सकती। इस प्रकार के दृष्टांत मिल जाएंगे जहां ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बहुत अधिक है, बल्कि कहीं कहीं तो शतप्रतिशत ही हैं। इस प्रकार उत्तराखंड मंडल से इतर पर्वतीय क्षेत्रों में नागरिकों में ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। उत्तराखण्ड मंडल विभिन्न श्रेणी में आता है और आकड़े उपलब्ध होने की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि उनका अधिकांश भाग सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, किन्तु उत्तराखंड मंडल में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के सभी निवासी सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं कहे जा सकते।

दूसरे शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है कि यदि उत्तराखंड मंडल की सामाजिक और

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में रख देने का कोई औचित्य हो तो भी उत्तराखंड मंडल से इतर सभी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों को उस श्रेणी में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

निर्णय

(i) प्रि-मेडिकल परीक्षा में प्राप्त अंक, आरक्षित क्षेत्रों में प्रि-मेडिकल परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या और उन क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कमी इस बात के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं कि उन क्षेत्रों के सभी निवासियों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए।

(ii) उत्तराखंड मंडल के उम्मीदवारों के लिए किए गए आरक्षण को वैध माना गया, परन्तु ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उसे वैध नहीं माना गया।